संख्या-33/2025//001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद- अमेठी, चित्रकूट, हमीरपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा, बांदा, बाराबंकी, मथुरा एवं झांसी के चिन्हित 25 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-271/01- आगणन फाईल/2024(185084), दिनांक 06.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित जनपद- अमेठी, चित्रकूट, हमीरपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा, बांदा, बाराबंकी, मथुरा एवं झांसी के चिन्हित ब्लैक स्पॉट के 25 कार्यों की कुल लागत रु0 3431.41 लाख (रुपये चौतीस करोड़ इकतीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कुल रु0 1715.43 लाख (रुपये सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख तिरालिस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	प्रथम चरण की कार्य योजना का क्रमांक	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	1	अमेठी/ प्रा0खं0	जनपद अमेठी में जगदीशपुर अठेहा अझारा राज्य मार्ग के किमी0 18 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट गोगामऊ में सड़क सुरक्षा का कार्य।	22.92	11.46
2	5	चित्रकूट/ नि0खं0 1	जनपद चित्रकूट में खोह मानिकपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 17 से 19 के मध्य स्थित ब्लैक स्पॉट काली पहाड़ी के सुधार हेतु चैनेज 17 17.9 एवं 18.1 पर सेफ साइट डिस्टेंस बढाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	96.11	48.00
3	6	चित्रकूट/प्रा0 खं0	ब्लैक स्पॉट-12 बांदा बबेरू कमासिन राजापुर (एस0एच0-92) के किमी0 79 (अर्की मोड ब्लैक स्पॉट) पर सड़क सुरक्षात्मक कार्य।	28.51	14.25
4	7	हमीरपुर/नि 0खं02	जनपद हमीरपुर में मौदहा-बिवांर-जलालपुर-कुपरा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-55बी0) के चैनेज 19.600 पर बिवांर बॉधुर तिराहा एवं राठ जलालपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-41बी) के चैनेज 27.200 पर ममना सरीला तिराहा पर ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण का कार्य।	11.13	5.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	28	लखनऊ/नि0 खं02	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (एस0एच0-136) पर वर्ष 2021 में चिन्हित हरौनी में 'ब्लैक स्पॉट' पर सुरक्षात्मक कार्य ।	81.33	40.66
6	29	लखनऊ/नि0 खं02	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (एस0एच0-136) के किमी0 43.000 से 44.000 तक हरौनी (नारायनपुर) में चिन्हित 01 नं0 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षात्मक कार्य।	54.14	27.00
7	30	लखनऊ/नि0 खं02	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में बिजनौर सिसेण्डी मार्ग (अ0जि0मार्ग) से कमलापुर में चिन्हित 01 नं0 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षात्मक कार्य।	28.31	14.15
8	31	लखनऊ/नि0 खं02	जनपद लखनऊ में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत अजगैन मलिहाबाद इटौजा मार्ग (एस0एच0-115) मसीढ़ा हमीर में "ब्लैक स्पॉट" पर सुरक्षात्मक का कार्य ।	17.76	8.88
9	42	मेरठ/ प्रा0खं0	जनपद मेरठ में मेरठ आसिफाबाद मार्ग के मध्य स्थित ब्लैक स्पॉट जई पुलिया (ब्लैक स्पॉट-यूपी 7240) वर्ष 2023 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	29.33	14.66
10	43	मेरठ/ प्रा0खं0	जनपद मेरठ में मेरठ-आसिफाबाद मार्ग के मध्य स्थित ब्लैक स्पॉट खजूरी मिशन (ब्लैक स्पॉट सं0 यू0पी07239) वर्ष 2023 में चयनित ब्लैक स्पॉट के सुधार का कार्य।	6.90	3.45
11	44	वाराणसी/प्रा 0खं0	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 (हरहुआ फ्लाई ओवर से वरूणापुल) मार्ग के चैनेज 271.900 से 280.250 में 02 ब्लैक स्पॉट (गिलत बाजार तरना ओवर ब्रिज) के सुधार का कार्य।	18.98	9.49
12	45	मीरजापुर/ प्रा0ख0	जनपद मीरजापुर में संगमोहाल के पास रेलवे सम्पार संख्या-6ए संगमोहाल पथरहिया साइड में आर0ई0वाल समाप्त होने के कारण एन0एच0-135 शहरी भाग पर बने ब्लैक स्पाट जोन को समाप्त किये जाने हेतु निर्मित किये जाने वाले रोटरी का निर्माण कार्य।	49.59	24.79
13	89	आगरा/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत अवन्तीबाई चौराहा फतेहाबाद में जाम व दुर्घटना रोकने हेतु सुधार कार्य।	222.44	111.22
14	112	बांदा/ प्रा0खं0	अतर्रा रोड एवं बाईपास के चौराहे पर चौड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।	298.11	149.00
15	113	बांदा/ प्रा0खं0	मवई चौराहे पर चौड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।	280.08	140.00
16	114	बांदा/ प्रा0खं0	खेत सिंह खंगार चौराहे पर चौड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।	282.93	141.46
17	115	बांदा/ प्रा0खं0	बांदा नरैनी मार्ग एवं बांदा बाईपास मार्ग के तिराहे चौड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।	145.72	72.86
18	116	बांदा/ प्रा0खं0	बांदा बाईपास के महोखर चौराहे पर चौड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।	282.51	141.25
19	209	बाराबंकी/नि 0खं0- 1	भेलसर-टिकैतनगर-रामनगर फतेहपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 127) पर दुर्घटना में कमी लाये जाने हेतु रोड सेफ्टी का कार्य।	334.88	167.44
20	210	मथुरा/ प्रा0खं0	जनपद मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला के दृष्टि गोवर्धन बाईपास मार्ग पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्रैश बेरियर लगाने एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	375.00	187.50
21	211	मथुरा/ प्रा0खं0	जनपद मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला के दृष्टि राधाकुण्ड बाईपास मार्ग पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्रैश बेरियर लगाने एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	102.25	51.12
22	212	मथुरा/ प्रा0खं0	जनपद मथुरा के पण्डित दीनदयाल धाम के निकट फरह सौंख मार्ग से फरह अछनेरा मार्ग तक मार्ग पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्रैश बेरियर लगाने एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	94.67	47.33
23	216	झासी/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत दबोह-पूँछ--गुरसराय-टीकमढ़ मार्ग (राज्य मार्ग-131) के किमी 83 एवं 90 में ट्रक-ले-बाई का निर्माण कार्य।	289.62	144.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24	217	झासी/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत दबोह-पूँछ--गुरसराय-टीकमढ़ मार्ग (राज्य मार्ग-131) के किमी 94 एवं 106 में ट्रक-ले-बाई का निर्माण कार्य।	267.62	133.81
25	224	वाराणसी/प्रा 0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत लंका गेट से सामने घाट मार्ग पर गंगा नदी पर निर्मित सेतु के पहुच मार्ग के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने का कार्य।	10.57	5.28
			योग	**3431.41**	**1715.43**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं का कार्य शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त 06 माह में पूर्ण कर लिया जाय तथा उक्त परियोजनाओं का भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्य में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

7- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-7-2-1606/दस-2014- 17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

8- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

10- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

14- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

15- लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04- 2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

17- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्य प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 17,15,43,000 (रुपये सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख तिरालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दयीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-585-X-2024-25, दिनांक 02.01.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2025//001-1310(1)-23-12-2024-23-12099-099-114-2024- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, लोक लिर्माण विभाग, लखनऊ।

6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

13- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गुप्ता)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।